न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 2581–तीन/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 29–04–13 पारित अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 34/2002–03 निगरानी.

1– रामपदारथ पिता शिवमूरति राम
2– रामप्रसाद पिता शिवमूरति राम
3– रामगिलन पिता शिवमूरति राम
4– बुद्धसेन पिता शिवमूरति राम
5– रामरहीस पिता शिवमूरति राम
सभी निवासी ग्राम ढावा, तिवरियान,
तह0 हनुमना जिला रीवा

—— आवेदकगण

विरूध्द

1– कुन्जबिहारी पिता स्व. सूर्यप्रताप तिवारी
2– गुलावप्रसाद पिता स्व. सूर्यप्रताप तिवारी
3– मोतीलाल पिता स्व. सूर्यप्रताप तिवारी
सभी निवासी ग्राम ढावा, तिवरियान,
तह0 हनुमना जिला रीवा
4– श्रीमती देवकली पुत्री सूर्यप्रताप पत्नि रामबिहारी
मिश्र,नि0 ग्राम मुड़ेले, तह0 लालगंज,
जिला मिर्जापुर, उ0प्र0

—— अनावेदकगण

श्री एस0के0श्रीवास्तव, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री ए0के0 अग्रवाल, अभिभाषक– अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 5.5 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर

आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 34/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 29–04–2013 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, हनुमना के आदेश दिनांक 06–11–86 के विरूध्द आवेदकगण ने निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 7–11–02 में यह निष्कर्ष निकाला कि राजीनामा आवेदनपत्र दिनांक 20–10–86 में निगरानीकर्त्ता रामपदारथ, बुद्धसेन व रामरहीस के हस्ताक्षर नहीं बने हैं, जबकि राजीनामा में संबंधित पक्षकारों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। अतः अपर कलेक्टर ने निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 6–11–86 निरस्त किया और अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया कि कथित राजीनामा की वैधता व मौजूदगी की जॉच/परीक्षण कर गुण–दोष पर आदेश पारित करें। इस आदेश के विरूध्द अनावेदकगण ने निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 29–4–13 व्दारा स्वीकार कर अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 7–11–02 निरस्त कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 6–11–86 यथावत रखा है। अतः आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि राजीनामें पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर होना जरूरी है और इस बिन्दू पर अपर कलेक्टर व्दारा निगरानी स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को बोलता हुआ आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया है। उनका तर्क है कि अपर जिला न्यायाधीश व्दारा व्यवहार अपील क0 13ए/10 में पारित निर्णय दिनांक 10–02–11 के विरूध्द मान. उच्च न्यायालय में अपील क0 410/11 लम्बित है, किन्तु अपर आयुक्त ने व्यवहार न्यायालय के अपील में पारित निर्णय के

आधार पर निगरानी स्वीकार करने के पूर्व इस बिन्दू पर सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 06–11–86 के विरूध्द 14 वर्ष बाद निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गयी। राजीनामा आवेदनपत्र दिनांक 20–10–86 में रामप्रसाद एवं राममिलन तथा उनके अधिवक्ता आर.डी.त्रिपाठी के हस्ताक्षर हैं, इसलिये आदेश दिनांक 6–11–84 की जानकारी उसी समय होना मान्य किया जायेगा। विलम्ब का कोई सन्तोषजनक कारण नहीं बतलाया गया, इस कारण निगरानी समयावधि में मानकर आदेश पारित करने में अपर कलेक्टर ने भूल की है। उनका यह भी तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में आवेदकगण व्दारा व्यवहार वाद क0 70ए/09 प्रस्तुत किया गया था जो निर्णय दिनांक 13–07–10 व्दारा खारिज किया गया है तथा अपील क0 13–ए/2010 भी निर्णय दिनांक 10–02–11 व्दारा खारिज की जा चुकी हैं। व्यवहार न्यायालय ने प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदकगण का कोई स्वत्व होना मान्य नहीं किया है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, मऊगंज जिला रीवा के समक्ष आवेदकगण रामपदारथ आदि व्दारा व्यवहार वाद क0 70ए/09 प्रस्तुत किया गया। व्यवहार न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13–10–07 की प्रथम कण्डिका में यह अंकित किया है कि –

"यह वाद ग्राम ढावा तिवरियान तह0 हनुमना जिला रीवा म0प्र0 की भूमि खसरा क0 896 के रकबा 0.07 ए. का भूमिस्वामी वादी क0–3 (राममिलन) को घोषित किये जाने तथा उक्त भूमि के अंश भाग 0.14 ए.का भूमिस्वामी वादी क0–5 (रामरहीस) को घोषित किये जाने तथा ख0क0 902/2 रकबा 0.01 ए. का भूमिस्वामी वादी क. 1 (रामपदारथ) व 4 (बुद्धसेन)

को घोषित किये जाने तथा राजीनामा आदेश दिनांक 20–10–86 के शून्य घोषित किये जाने बावत पेश किया गया है।"

इससे स्पष्ट है कि आवेदकगण व्दारा प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व घोषणा तथा राजीनामा को शून्य घोषित किये जाने हेतु व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया। व्यवहार न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13–07–10 व्दारा वाद प्रमाणित नहीं होने से खारिज किया गया है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि अपर जिला न्यायाधीश मऊगंज के नियमित अपील कमांक 13ए/10 में राजीनामें के संबंध में विचार किया गया है और वाद निरस्त किया गया है। अपर आयुक्त के अभिलेख में मान. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि की छाया प्रति उपलब्ध है जिसके अवलोकन से विदित होता है कि मान. उच्च न्यायालय में व्दितीय अपील क0 410/2011 आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत की गयी है जिसमें मान. उच्च न्यायालय व्दारा दिनांक 01–04–2011 को दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख मॅगाने के आदेश दिये हैं। व्यवहार वाद एवं प्रथम सिविल अपील में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का स्वत्व होना मान्य नहीं किया गया है, इस कारण सिर्फ व्दितीय अपील मान. उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से अपर आयुक्त का आदेश त्रुटिपूर्ण होना नहीं माना जा सकता। यदि आवेदकगण व्दितीय अपील में सफल होते हैं तो तदनुसार राजस्व अभिलेख दुरूस्त किये जा सकते हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 29–04–13 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0